न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —75/2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/212

1. अखिलेश कुमार आत्मज विष्णु देव
2. अमलेश कुमार आत्मज विष्णु देव
3. मिथलेख कुमार आत्मज विष्णु देव
   निवासीगण इन्द्रा गांधी नगर, डीसीएम रोड कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

विष्णु देव पुत्र श्री रामसुन्दर निवासी इन्द्रा गांधी नगर, लवली शास्त्री के स्कूल के पीदे की गली, इन्द्रा गांधी नगर डीसीएम रोड कोटा (राज0)

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2024 बउनवान मुदमा विष्णु देव बनाम अखिलेश कुमार व अन्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री देवानन्द, अभिभाषक अपीलांट
2. रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक— 20.05.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2024 को आदेश पारित किया कि—"प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है, आय का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अप्रार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 1000/— मासिक प्रत्येक अर्थात कुल 3000/— रूपये मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।"
2. अपीलांटगण द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2024 को पेश की गई है कि प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया था, जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को प्रतिपक्षीगण प्रत्येक अपीलान्ट से 1000/—, 1000/— प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून न्याय एवं संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित हुआ । अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को प्रतिपक्षीगण अपीलान्ट को भरण पोषण करने में सक्षम होना मान कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अपने पिता की समुचित देखभाल करने व भोजन की भी समुचित व्यवस्था करने तथा प्रतिपक्षीगण प्रत्येक अपीलान्ट से 1000/–, 1000/– प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट जे0के0 फेक्ट्री से रिटायर व्यक्ति है तथा वर्तमान में कोरियर का कार्य करते है तथा पेंशन भी प्राप्त होती है इसके अलावा वृद्वावस्था पेंशन भी मिलती है साथ ही साथ प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पास गांव में कृषि भूमि भी है जिसको प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मुनाफे पर जुपवाते है जिसका प्रति वर्ष मुनाफा राशि प्रार्थी को प्राप्त होती है । इसके अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को प्रधान मंत्री किसान निधि राशि भी प्राप्त होती है इनके पास स्वयं का मकान है जिसका किराया भी प्राप्त होता है । इस प्रकार 25,000/– मासिक की आमदनी होती है तथा प्रार्थी रेस्पो0 भरण पोषण करने में सभी तरह से सक्षम है । इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट से 1–1 हजार रूपये माहवार भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपक्षीगण के इस कथन पर कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपने अन्य दो पुत्रों के साथ निवास करते है । अपीलान्ट नं0 1 व 2 दिल्ली में नोकरी करते है तथा अपीलान्ट नं0 3 इन्दोर में नोकरी करता है प्रतिपक्षी अपीलान्ट समय समय पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की देखभाल करते है तथा खर्चा भी देते आ रहे है जब कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपने अन्य पुत्रों के साथ निवास करते है ओर अन्य पुत्रों के बहकावे में आकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है । अपीलान्टगण तीनों बाहर नोकरी में है जहां काफी खर्चा होता है ओर नाम मात्र बचत होती है जो अपने परिवार पर खर्च हो जाती है । प्रार्थी रेस्पो0 के पास 25000/– महिना की आय है और उनको किसी प्रकार की भरण पोषण की राशि की आवश्यकता नहीं है तथा रेस्पो0 स्वयं अपना भरण पोषण करने में सभी प्रकार सक्षम है इसके बावजूद भी राशि दिलाये जाने कां आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलान्टगण अपने पिता प्रार्थी रेस्पो0 को अपने साथ रखने व उनके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करने हेतु तत्पर व तैयार है । प्रार्थी रेस्पो0 वृद्व है और वे स्वयं ही अपीलान्ट के साथ अब नहीं रहना चाहते है जब कि पूर्व में प्रतिपक्षीगण के साथ ही निवास करते थे तथा अब अन्य पुत्रों के साथ निवास करते है । इस कारण प्रार्थी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को खारिज करना चाहिए था, ऐसा न कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.9.2024 निरस्त फरमाया जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट ने अपना पक्ष स्वयं रखते हुए कथन किया है कि उनके द्वारा तीनों पुत्रों की अच्छी शिक्षा दिलाकर काबिल बनाया जिस कारण तीनों बाहर अच्छे पदों पर नोकरी में है । इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, किन्तु अब में वृद्व हो चुका हूँ तथा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है । मकान एवं जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है । मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है । अपीलांटगण ने अपील में कहा है कि यह तीनों बाहर नोकरी करते है तथा काफी खर्चा परिवार पर होना बताते है, किन्तु मैने भी तो इनकी परवरिश में काफी पैसा खर्च किया है, मैं भी इनके परिवार का ही सदस्य हूँ । अब इनका दायित्व बनता है कि यह मेरे भरण पोषण भोजन आदि का ध्यान रखे । इनके द्वारा मेरे भरण पोषण आदि की व्यवस्था नहीं करने के कारण ही मेरे अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने तय की गई राशि का भुगतान दिलाने के आदेश पारित कराना फरमावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांटगण ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2024 को पारित आदेश के विरूद्व दिनांक 29.11.2024 को प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के विरूद्व धारा 5(1) क़ा प्रार्थना पत्र वास्ते भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक अप्रार्थी अपीलांट से 1–1 हजार रूपये, अर्थात तीनों से कुल 3000/– प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जर्ये बैंक खाता अदा करने के आदेश अपीलाधीन आदेश से दिये गये थे । चूंकि अपीलांटगण रेस्पोडेन्ट के पुत्र है एवं तीनों को पढा लिखाकर काबिल बनाया है तथा तीनों अपीलांट पुत्र अच्छे पदों पर नोकरी में है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण की राशि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अदा करने के आदेश दिये है । प्रस्तुत अपील में अपीलांटगण का तर्क उचित नहीं है कि वह बाहर नोकरी करते है तथा उनके परिवार पर काफी खर्चा हो जाता है तथा तय की गई भरण पोषण की राशि अदा करने में असमर्थता जताई है, चूंकि रेस्पोडेन्ट ने भी अपीलांटगण पर काफी खर्चा किया होगा तभी जाकर वह अच्छे पदों पर नोकरी करने लायक बने है । अपीलांटगण प्रत्येक अपने पिता को 1000/– बतौर भरण पोषण की राशि तो अदा कर ही सकते है, यह कोई बड़ी रकम नहीं है । अपीलांटगण का तर्क उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही पारित किया है जिसमें हम कोई दोष नहीं पाते है । अपील सारहीन बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है. ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.09.2024 उचित होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा